



मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)

विकास भवन (चतुर्थ तल) अरेरा हिल्स, भोपाल-462011

क्र. 1122 /एमजीएनआरईजीएस-म.प्र./जीआरएस/2025 भोपाल दिनांक 24/06/2025
प्रति,

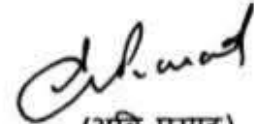
1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अति.जिला कार्यक्रम समन्वयक
जिला/जिला पंचायत (समस्त)।

विषय: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (म.प्र.) ग्राम रोजगार सहायक
मार्गदर्शिका-2025 विषयक।

मनरेगा परिषद का कार्यकारणी समिति की 06 वीं बैठक दिनांक 22.04.2025 के एजेण्डा क्र.-03 पर लिए गए निर्णय अनुसार पूर्व में विभाग तथा परिषद मुख्यालय से ग्राम रोजगार सहायकों के संबंध में जारी विभिन्न आदेशों, निर्देशों, परिपत्रों इत्यादि को समेकित व संशोधित करते हुए मार्गदर्शिका-2025 जारी की जा रही है। ग्राम रोजगार सहायक मार्गदर्शिका वर्ष - 2025 की प्रति संलग्न है।

उक्त मार्गदर्शिका वर्ष - 2025 के निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू किए जाते हैं। पूर्व निष्पादित अनुबंध की शर्तें स्वमेव यथास्थान संशोधित मानी जाएंगी।
(प्रमुख सचिव द्वारा अनुमोदित)

संलग्न : गा.रो.सहा.मार्गदर्शिका-2025


(अवि प्रसाद)

आयुक्त, एवं सदस्य सचिव
कार्यकारणी समिति

म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद

पृ.क्र. 1123 /एमजीएनआरईजीएस-म.प्र./जीआरएस/2025 भोपाल दिनांक 24/06/2025
प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, मान.मंत्री /राज्यमंत्री जी, म.प्र.शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
2. निज सहायक, प्रमुख सचिव म.प्र.शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
3. संभागीय आयुक्त (समस्त) म.प्र.।
4. महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता, कार्यालय महाधिवक्ता म.प्र.जबलपुर / ग्वालियर /इंदौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. संचालक, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (SIRD), जिला जबलपुर (म.प्र.)
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी /कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


आयुक्त, एवं सदस्य सचिव
कार्यकारणी समिति

म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद



मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
विकास भवन (चतुर्थ तल) अरेरा हिल्स, भोपाल-462011

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (म.प्र.) ग्राम रोजगार सहायक मार्गदर्शिका-2025

प्रस्तावना:-

- 1.1 यह मार्गदर्शिका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम मध्यप्रदेश के अंतर्गत "ग्राम रोजगार सहायक" मार्गदर्शिका कहलाएगी। यह मार्गदर्शिका पूर्व में विभाग तथा परिषद् मुख्यालय से ग्राम रोजगार सहायकों के संबंध में जारी विभिन्न आदेशों, निर्देशों, परिपत्रों, इत्यादि को समेकित व संशोधित करते हुए जारी की जा रही है।
- 1.2 ग्राम रोजगार सहायक मार्गदर्शिका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, मध्यप्रदेश अंतर्गत नियुक्त/अनुबंधित समस्त ग्राम रोजगार सहायक के लिए जारी होने के दिनांक से लागू होगी। ग्राम रोजगार सहायक इस मार्गदर्शिका एवं समय-समय पर मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्/विभाग द्वारा जारी आदेशों, निर्देशों, परिपत्रों से शासित होंगे।
- 1.3 प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम रोजगार सहायक का पद होगा। ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत का कर्मचारी होगा।
परन्तु मनरेगा योजनान्तर्गत लबर बजट सामित या कम होने की स्थिति में 02 पंचायतों पर एक ग्राम रोजगार सहायक का प्रावधान किया जा सकेगा, इस विषय में निर्णय अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आयुक्त, परिषद् के प्रस्ताव पर किया जा सकेगा।
- 1.4 यह नियुक्ति मुख्यतः मनरेगा योजना के क्रियान्वयन के लिए की जायेगी। इस तरह कार्यक्रम क्रियान्वयन में उसकी आवश्यकता ही ग्राम रोजगार सहायक के सेवा में बने रहने का औचित्य प्रतिपादित करेगा।
- 1.5 ग्राम रोजगार सहायक को स्थायीकरण हेतु कोई पात्रता नहीं है और वह भविष्य में नियमितीकरण/स्थायीकरण संबंधी कोई दावा नहीं कर सकेगा।

2. चयन प्रक्रिया, अर्हताएं एवं नियुक्ति:-

2.1. अर्हताएं:-

- 2.1.1 अभ्यर्थी को आवेदित ग्राम पंचायत का स्थानीय निवासी होना चाहिये। स्थानीय निवासी हेतु आवेदक का नाम उस ग्राम पंचायत की भारत निर्वाचन की अद्यतित मतदाता सूची में पंजीबद्ध होना अनिवार्य है।
- 2.1.2 अभ्यर्थी की आयु कैलेंडर वर्ष के 01 जनवरी को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। आयु गणना का आधार हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने की अंकसूची/प्रमाण-पत्र में उल्लेखित जन्मतिथि के अनुसार होगा।

- 2.1.3 मध्यप्रदेश के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

आयुक्त (स्थापना)
ग.ग. परिषद्-भोपाल

2.1.4 सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक सी 3-15/2014/1/3 भोपाल दिनांक 26 फरवरी 2015 अनुसार निम्नांकित संस्थाओं से एकवर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा/सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा:-

1. यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।
2. यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।
3. डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा। (स्थानीय रूप से DOEACC is Affiliated/ Accredited) संस्थाओं के डिप्लोमा मान्य नहीं।
4. शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज से माडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स।
5. शासकीय आई.टी.आई. द्वारा एकवर्षीय "कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट" (COPA) प्रमाण-पत्र।

2.1.5 मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभागान्तर्गत आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (सीपीसीटी) हिन्दी टायपिंग के साथ उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है। सीपीसीटी स्कोरकार्ड की वैधता अवधि के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी नवीनतम निर्देश मान्य होंगे।

2.1.6 ग्राम रोजगार सहायक का प्रावधान ग्राम पंचायत स्तर पर अंशकालिक संविदा आधारित होकर मनरेगा योजना के जीवनकाल तक सीमित होने से आरक्षण के प्रावधान एवं आयु-छूट के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

2.1.7 नियुक्ति कार्यवाही से व्यथित होने पर अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित अपीलीय प्रावधान के तहत सक्षम स्तर पर अपील की जा सकेगी: -

(क) मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा पारित आदेश से व्यथित अभ्यर्थी कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक को 60 दिवस की समय-सीमा में प्रथम अपील प्रस्तुत करेगा। प्रस्तुत अपील का निराकरण कलेक्टर द्वारा 45 दिवस की समय-सीमा में किया जाएगा। कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक को प्रदत्त यह अधिकार अपर कलेक्टर को नहीं दिया गया है।

(ख) प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश से व्यथित अभ्यर्थी द्वारा आदेश पारित होने की तिथि से 90 दिवस के अन्दर द्वितीय अपील आयुक्त, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की जा सकेगी। प्रस्तुत अपील का निराकरण 90 दिवस की समय-सीमा में किया जायेगा। आयुक्त, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल के द्वारा पारित निर्णय अंतिम होगा। उक्त निर्णय/आदेश के विरुद्ध कोई अपील ग्राह्य नहीं होगी।

2.2- चयन प्रक्रिया एवं नियुक्ति:-

2.2.1 भविष्य में ग्राम रोजगार सहायकों के रिक्त पदों पर चयन कर्मचारी चयन मंडल/ विभाग/परिषद द्वारा आयोजित 'लिखित भर्ती परीक्षा' के आधार पर होगा।

2.2.2 परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों की प्रावीण्य (मेरिट) सूची तैयार की जाएगी। एक से अधिक अभ्यर्थियों को समान अंक प्राप्त होने की दशा में आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी को प्रावीण्य (मेरिट) में उच्च स्थान दिया जाएगा। ग्राम रोजगार सहायकों हेतु न्यूनतम कट-ऑफ अंक का निर्धारण

मुक्त (स्थानीय)
ग. परिषद-भोपाल

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आयुक्त, परिषद के प्रस्ताव पर किया जा सकेगा। उक्त परीक्षा केवल अर्हकारी होगी। मेरिट सूची में चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति का दावा प्रस्तुत नहीं कर सकेगा।

- 2.2.3 नियुक्ति संबंधी कार्यवाही के संबंध में विस्तृत कैलेंडर व निर्देश विभाग/परिषद के द्वारा जारी किये जावेंगे।
- 2.2.4 जिलेवार मेरिट सूची जिला कलेक्टर को प्रेषित की जाएगी। रिक्त पदों पर भर्ती किए जाने हेतु विभाग/परिषद द्वारा जारी विस्तृत कैलेंडर अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा रिक्त पदों की जानकारी व आवेदन हेतु समय-सारणी प्रकाशित कर जिले की ग्राम पंचायतों के ग्राम रोजगार सहायक के रिक्त पदों के लिए मेरिट सूची में चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन आमंत्रित करेंगे।
- 2.2.5 मेरिट सूची में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा जिला पंचायत में आवेदन प्रस्तुत किए जाएंगे। जिला पंचायत को प्राप्त आवेदन पत्रों के साथ संलग्न अभिलेखों का सत्यापन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा कराये जाने के उपरांत ग्राम पंचायतवार मेरिट सूची तैयार की जाकर ग्राम पंचायतों को प्रेषित की जाएगी।
- 2.2.6 मेरिट सूची में प्रथम स्थान पर अंकित अभ्यर्थी को ग्राम पंचायत में ग्राम रोजगार सहायक के पद पर नियुक्ति हेतु आदेश ग्राम पंचायत की सामान्य सभा से अनुमोदन उपरांत ग्राम पंचायत द्वारा प्रसारित किया जाएगा।
- 2.2.7 उपरोक्त समस्त प्रक्रिया ऑनलाईन माध्यम से भी संपादित की जा सकेगी। इस विषय में विस्तृत निर्देश विभाग/परिषद द्वारा जारी किए जा सकेंगे।
- 2.2.8 आदेश प्रसारित दिनांक से 15 दिवस की समयावधि में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। इस अवधि में कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में नियुक्ति स्वतः समाप्त मानी जायेगी एवं मेरिट सूची में दूसरे स्थान पर उल्लेखित अभ्यर्थी की नियुक्ति हेतु ग्राम पंचायत की सामान्य सभा से अनुमोदन उपरांत ग्राम पंचायत द्वारा आदेश प्रसारित किया जाएगा। इस अभ्यर्थी को भी 15 दिवस की समयावधि में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

3- संविदा अवधि एवं अनुबंध:-

- 3.1 ग्राम रोजगार सहायक अंशकालीन संविदा कर्मचारी होगा। मनरेगा योजनान्तर्गत अनुबंधित ग्राम रोजगार सहायक के लिए संविदा कार्यावधि एक वर्ष होगी, जो वित्तीय वर्ष प्रारंभ से लागू रहेगी। ग्राम रोजगार सहायक के लिए अनुबंध वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से आगामी एक वर्ष के लिए होगा। अनुबंध की शर्तें/प्रारूप परिशिष्ट 01 पर संलग्न है।

- 3.2 ग्राम रोजगार सहायक का अनुबंध सचिव, ग्राम पंचायत एवं ग्राम रोजगार सहायक के मध्य राशि रुपये 500/- गैर न्यायिक बंधक-पत्र पर 03 मूल प्रतियों में निष्पादित किया जाएगा। 01 प्रति ग्राम पंचायत में

अनुमत्त (स्थानांतरण)
गा. परिषद-भोपाल

संधारित होगी, दूसरी प्रति जिला पंचायत में अनुबंध के नवीनीकरण के आगामी प्रयोजन हेतु प्रेषित की जाएगी तथा एक प्रति ग्राम रोजगार सहायक को उपलब्ध कराई जाएगी।

3.3 अनुबंध के निष्पादन पर होने वाला व्यय चयनित ग्राम रोजगार सहायक द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

3.4 अनुबंध एक बार निष्पादित किये जाने के पश्चात लागू संविदा शर्तों पर पुनः नये सिरे से अनुबंध निष्पादित करने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि वार्षिक सेवा मूल्यांकन के आधार पर संबंधित ग्राम रोजगार सहायक का कार्य संतोषप्रद पाया जाता है और उनके विरुद्ध किसी प्रकार की अनुशासनात्मक अथवा अभियोजन कार्यवाही प्रचलित न हो तो अनुबंध स्वतः ही समान शर्तों पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा नवीनीकरण किया जाएगा। प्रचलित अनुबंध पत्र पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा आगामी 01 वर्ष के नवीनीकरण की टीप दर्ज की जाएगी। वार्षिक मूल्यांकन पत्रक का प्रारूप परिशिष्ट - 02 अनुसार है। आयुक्त, मनरेगा समय-समय पर वार्षिक मूल्यांकन पत्रक के प्रारूप में संशोधन व संविदा अवधि बढ़ाए जाने हेतु न्यूनतम अंक निर्धारित करने हेतु सशक्त होंगे। आगामी आदेश होने तक संविदा अवधि बढ़ाए जाने हेतु वार्षिक मूल्यांकन पत्रक में न्यूनतम 60 अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य रहेगा।

3.5 ग्राम रोजगार सहायक का मूल्यांकन प्रतिवर्ष 01 अप्रैल से 15 मार्च तक की अवधि के आधार पर किया जाएगा। उपरोक्त मूल्यांकन कार्य आलोच्य वर्ष में 25 मार्च तक किया जाकर 31 मार्च तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा संपूर्ण जिले के नवीनीकरण योग्य ग्राम रोजगार सहायकों के विषय में आदेश प्रसारित किया जाएगा। उक्त आदेश संबंधित ग्राम रोजगार सहायक की व्यक्तिगत नस्ती में ग्राम पंचायत द्वारा संधारित किया जाएगा। उपरोक्त कार्यवाही समय-सीमा में संपादित किया जाना सुनिश्चित करना जनपद स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत व अति. कार्यक्रम अधिकारी(मनरेगा) एवं जिला स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत व परियोजना अधिकारी (मनरेगा) का उत्तरदायित्व होगा।

3.6 Human Resource Management System (मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली) का उपयोग वार्षिक मूल्यांकन एवं नवीनीकरण में किया जा सकेगा। इस विषय में विस्तृत निर्देश विभाग/परिषद स्तर से जारी किए जा सकेंगे।

3.7 मतांकन का चैनल।

क्र.	प्रतिवेदक अधिकारी	समीक्षक अधिकारी	स्वीकारकर्ता अधिकारी
1	अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी, जनपद पंचायत	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत

3.8 वार्षिक मूल्यांकन अंतिम होने के बाद अभिलेख जिला पंचायत कार्यालय में संधारित होगा।
 आयुक्त (स्थापना)
 II. परिषद-भोपाल

3.9 वार्षिक मूल्यांकन में ग्राम रोजगार सहायक को न्यूनतम अंक (60) से कम प्राप्त होने की स्थिति में सेवा समाप्ति की कार्यवाही की जा सकेगी।

3.10 नियुक्ति की कार्यवाही व वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर सेवा-समाप्ति से व्यथित होने पर अभ्यर्थी/संबंधित ग्राम रोजगार सहायक द्वारा निम्नांकित अपीलीय प्रावधान के तहत सक्षम स्तर पर अपील की जा सकेगी-

(क) मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा पारित आदेश से व्यथित अभ्यर्थी/संबंधित ग्राम रोजगार सहायक कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक को 60 दिवस की समय-सीमा में प्रथम अपील प्रस्तुत करेगा। प्रस्तुत अपील का निराकरण कलेक्टर द्वारा 45 दिवस की समय-सीमा में किया जाएगा। कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक को प्रदत्त यह अधिकार अपर कलेक्टर को नहीं दिया गया है।

(ख) प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश से व्यथित अभ्यर्थी/संबंधित ग्राम रोजगार सहायक द्वारा आदेश पारित होने की तिथि से 90 दिवस के अन्दर द्वितीय अपील आयुक्त, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की जा सकेगी। प्रस्तुत अपील का निराकरण 90 दिवस की समय-सीमा में किया जायेगा। आयुक्त, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल के द्वारा पारित निर्णय अंतिम होगा। उक्त निर्णय/आदेश के विरुद्ध कोई अपील ग्राह्य नहीं होगी।

(ग) प्रथम अपीलीय अधिकारी या आयुक्त, परिषद द्वारा अपील मान्य होने का निर्णय होने की दशा में संविदा अनुबंध किए जाने की स्थिति उत्पन्न होती है तो किसी भी दशा में ग्राम रोजगार सहायक को सेवा विरत अवधि हेतु किसी प्रकार का मानदेय/पारिश्रमिक/अन्य लाभ की पात्रता नहीं होगी।

3.11 ग्राम रोजगार सहायक की आयु जिस माह में 62 वर्ष पूर्ण हो अथवा योजना समाप्त होने की तिथि (जो भी पहले हो) उस माह के अंतिम दिवस को उसकी सेवाएं स्वतः समाप्त मानी जाएगी। यदि किसी ग्राम रोजगार सहायक की जन्मतिथि माह की पहली तारीख है तो उसकी सेवा पूर्व माह की अंतिम तिथि को समाप्त मानी जाएगी।

3.12 यदि विभाग/परिषद द्वारा सेवा शर्तों में कोई संशोधन किया जाता है तो संविदा अनुबंध स्वमेव यथास्थान संशोधित माना जाएगा।

4- मासिक मानदेय: -

ग्राम रोजगार सहायक को प्रतिमाह एकमुश्त मासिक मानदेय राशि का भुगतान किया जाएगा जो विभाग/परिषद द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा। यदि ग्राम रोजगार सहायक मनरेगा के अतिरिक्त अन्य किसी शासकीय योजना या कार्यक्रम का कार्य करते हैं तो उस योजना अन्तर्गत अतिरिक्त मानदेय/पारिश्रमिक, जैसा कि निर्धारित किया जाए, प्राप्त कर सकेंगे।

आयुक्त (स्थ.)
रो.गा. परिषद-भोपाल

6.7 शिकायत/आरोप की जांच के दौरान अपचारी ग्राम रोजगार सहायक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा।

6.8 ग्राम रोजगार सहायक की सीधे सेवा समाप्त न की जाकर दण्ड प्रावधान क्रमशः घेतावनी, परिनिंदा, No Work No Pay के आधार पर मानदेय को अस्थायी रूप से रोका (कार्य पूर्णता तक) जा सकेगा एवं संबंधित के द्वारा किए गए अपचार की गंभीरता के अनुरूप पारिश्रमिक राशि काटी जा सकेगी।

6.9 यदि किसी ग्राम रोजगार सहायक के विरुद्ध लोकायुक्त/ईओडब्ल्यू का ट्रेप प्रकरण अथवा आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ हो तो उसके विरुद्ध उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार शासकीय कार्यों से विरत रखे जाने का आदेश प्रसारित किया जाएगा। यदि अनुबंध अवधि समाप्त होने तक संबंधित ग्राम रोजगार सहायक सक्षम न्यायालय से दोषमुक्त नहीं होता है तो आगामी वर्ष हेतु संविदा नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। इस प्रकार के प्रकरणों में निम्न आधार पर संविदा सेवा भी समाप्त की जाएगी:-

(क) जब भ्रष्टाचार या अन्य नैतिक पतन में अंतर्बलित दण्डिक अपराध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभियोजन स्वीकृति के पश्चात् उसके विरुद्ध चालान प्रस्तुत किया गया हो।

(ख) उसके निरुद्ध किए जाने के दिनांक से यदि उसे या तो किसी दण्डिक आरोप पर या अन्यथा, 48 घंटे से अधिक की कालावधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध किया गया हो।

6.10 यदि कोई ग्राम रोजगार सहायक लोकायुक्त/ईओडब्ल्यू प्रकरण/आपराधिक प्रकरण में सक्षम न्यायालय से दोषमुक्त हो जाता है, तो निम्न शर्तों के पूर्ण होने की स्थिति में पुनः संविदा अनुबंध हेतु आयुक्त, परिषद को आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा :-

(क) उसकी आयु 62 वर्ष अथवा तत्समय विभाग/परिषद द्वारा निर्धारित संविदा सेवा समाप्त होने हेतु निर्धारित आयु सीमा से न्यूनतम 05 वर्ष शेष हो।

(ख) दोष मुक्ति आदेश के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील/निगरानी/अन्य विधिक कार्यवाही लंबित ना हो।

(ग) योजनान्तर्गत ग्राम रोजगार सहायक के पद की निरन्तरता हो।

(घ) ग्राम रोजगार सहायक स्थान विशेष पर अनुबंध करने हेतु अनुरोध नहीं करेगा।

उपरोक्तानुसार आवेदन प्राप्त होने पर आयुक्त, परिषद प्रकरण को गुण-दोष पर विचार कर पुनः संविदा अनुबंध किए जाने की अनुमति विषयक आदेश पारित करेंगे। अनुमति उसी दशा में दी जाएगी यदि आवेदक की नियुक्ति के जिले में किसी ग्राम पंचायत में ग्राम रोजगार सहायक का पद रिक्त है व उस पद की पूर्ति हेतु कोई कार्यवाही प्रचलित नहीं है। यदि आयुक्त, परिषद द्वारा ग्राम रोजगार सहायक की पुनः संविदा अनुबंध किए जाने का आदेश पारित किया जाता है तो संबंधित जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिले में रिक्त ग्राम पंचायत को अनुबंध निष्पादन हेतु आवश्यक कार्यवाही करेंगे। इस प्रकार पुनः संविदा अनुबंध हेतु आदेशित ग्राम रोजगार सहायक को सेवा-विरत अवधि हेतु कार्य नहीं वेतन नहीं के सिद्धांत पर किसी प्रकार का मानदेय/पारिश्रमिक/अन्य लाभ की पात्रता नहीं होगी। आयुक्त, परिषद द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध किसी प्रकार की अपील/निगरानी मान्य नहीं होगी।

6.11 अपीलीय प्रावधान:-

(क) मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा पारित आदेश से व्यथित अभ्यर्थी कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक को 60 दिवस की समय-सीमा में प्रथम अपील प्रस्तुत करेगा। प्रस्तुत अपील का निराकरण कलेक्टर द्वारा 45 दिवस की समय-सीमा में किया जाएगा। कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक को प्रदत्त यह अधिकार अपर कलेक्टर को नहीं दिया जा सकेगा।

(ख) प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश से व्यथित अभ्यर्थी द्वारा आदेश पारित होने की तिथि से 90 दिवस के अन्दर द्वितीय अपील आयुक्त, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की जा सकेगी। प्रस्तुत अपील का निराकरण 90 दिवस की समय-सीमा में किया जायेगा। आयुक्त, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल के द्वारा पारित निर्णय अंतिम होगा। उक्त निर्णय/आदेश के विरुद्ध कोई अपील ग्राह्य नहीं होगी।

(ग) प्रथम अपीलीय अधिकारी या आयुक्त, परिषद द्वारा अपील मान्य होने का निर्णय होने की दशा में संविदा अनुबंध किए जाने की स्थिति उत्पन्न होती है तो किसी भी दशा में ग्राम रोजगार सहायक को सेवा विरत अवधि हेतु किसी प्रकार का मानदेय/पारिश्रमिक/अन्य लाभ की पात्रता नहीं होगी।

6.12 ग्राम रोजगार सहायक अपनी सेवा या किसी अन्य संविदा सेवक की सेवा से संबंधित किसी मामले के संबंध में न तो किसी भी तरह का प्रदर्शन/हड़ताल का सहारा लेगा और न किसी अन्य को इस हेतु प्रेरित करेगा। ग्राम रोजगार सहायक यदि प्रदर्शन/हड़ताल में शामिल होता है तो उस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। प्रदर्शन/हड़ताल की अवधि का निराकरण अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जायेगा तथा उनका निर्णय अंतिम होगा।

6.13 यदि कोई ग्राम रोजगार सहायक संविदा अवधि के दौरान संविदा नियुक्ति छोड़ना चाहता है तो उसे सचिव, ग्राम पंचायत के माध्यम से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को 30 दिवस पूर्व नोटिस देना अनिवार्य होगा अथवा एक माह का पारिश्रमिक/मानदेय जिला पंचायत में जमा कराना होगा। नोटिस अवधि पूर्ण होने या एक माह का पारिश्रमिक/मानदेय जमा किए जाने के उपरान्त संविदा अनुबंध स्वमेव समाप्त हो जाएगा। इस प्रावधान अन्तर्गत एक बार अनुबंध समाप्त हो जाने की दशा में पुनः सेवा में लिया जाना अनुमत्य नहीं होगा।

6.14 ग्राम पंचायत का नगरीय निकाय में विलय होने की स्थिति में ग्राम रोजगार सहायक की सेवाओं के विषय में नगरीय निकाय के अधिनियम/नियम के प्रावधानों अनुसार कार्यवाही की जाए। यदि किसी विधिक कारणवश नगरीय निकाय में समायोजन/संविलियन इत्यादि संभव नहीं है और उस जिले की अन्य ग्राम पंचायतों में ग्राम रोजगार सहायक के पद रिक्त हैं तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत परिषद की अनुमति प्राप्त कर संबंधित रिक्त ग्राम पंचायतों को नगरीय निकाय के विलय से प्रभावित ग्राम रोजगार सहायकों की नियुक्ति की कार्यवाही करने हेतु निर्देशित कर सकेंगे। जिले में

रिक्त ग्राम पंचायत न होने की दशा में एक माह का पारिश्रमिक/मानदेय देकर संविदा समाप्त की जा सकेगी।

- 6.15 यदि ग्राम पंचायत का अस्तित्व अन्य किसी कारण से समाप्त होता है यथा ग्राम पंचायत के डूब क्षेत्र में आना, विस्थापन हो जाना, इत्यादि और उस जिले की अन्य ग्राम पंचायतों में ग्राम रोजगार सहायक के पद रिक्त हैं तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत परिषद की अनुमति प्राप्त कर संबंधित रिक्त ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत का अस्तित्व समाप्त होने से प्रभावित ग्राम रोजगार सहायकों की नियुक्ति की कार्यवाही करने हेतु निर्देशित कर सकेंगे। जिले में रिक्त ग्राम पंचायत न होने की दशा में एक माह का पारिश्रमिक/मानदेय देकर संविदा समाप्त की जा सकेगी।

7- अवकाश:-

ग्राम रोजगार सहायक को एक कैलेंडर वर्ष में 13 दिन के आकस्मिक अवकाश एवं 3 दिन के ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त उन्हें पृथक से एक वर्ष में 15 दिवस के विशेष अवकाश Special Leave की पात्रता होगी। कैलेंडर वर्ष की समाप्ति पर शेष अवकाश स्वतः व्यपगत हो जाएगा। महिला ग्राम रोजगार सहायक को प्रसूति अवकाश की पात्रता उन प्रतिबंधों के साथ रहेगी, जो महिला शासकीय सेवक के लिए मध्यप्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम, 1977 में निर्धारित है। इसी प्रकार पुरुष ग्राम रोजगार सहायक को वर्णित अवकाश नियम अनुसार 15 दिवस के पितृत्व अवकाश की पात्रता होगी। आकस्मिक अवकाश व ऐच्छिक अवकाश ग्राम पंचायत द्वारा एवं अन्य समस्त अवकाश मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा स्वीकृत किया जा सकेगा।

8- स्थान परिवर्तन व अतिरिक्त प्रभार:-

- 8.1 तीन वर्ष से अधिक की सफलतापूर्वक सेवा पूर्ण करने पर ग्राम रोजगार सहायक का उसी जिले में किसी अन्य ग्राम पंचायत में स्थान परिवर्तन किया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में, उसका प्रथम ग्राम पंचायत के साथ अनुबंध समाप्त होगा तथा उसे संबंधित नवीन ग्राम पंचायत के साथ नवीन अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- 8.2 यह स्थान परिवर्तन जिले के भीतर कलेक्टर की अनुमति से किया जा सकेगा। प्रकरणों में प्रशासनिक गुण-दोष का मूल्यांकन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा किया जायेगा तथा कलेक्टर के अनुमोदन उपरांत स्थान परिवर्तन संबंधी आदेश संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जारी करेंगे। संबंधित पंचायतों को ऐसे आदेश की सूचना दी जावेगी।
- 8.3 उक्त कंडिका (8.2) के आदेश होने पर ग्राम रोजगार सहायक का विद्यमान पंचायत के साथ हुआ अनुबंध समाप्त माना जावेगा। उक्त आदेश के 07 दिवस के भीतर ग्राम रोजगार सहायक नवीन पंचायत में उपस्थिति देगा तथा उसका शेष अवधि के लिए अनुबंध हस्तांतरित किया जावेगा। स्थान परिवर्तन आदेश जारी होने के 03 दिवस के भीतर अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत संबंधित ग्राम रोजगार सहायक को कार्यमुक्त कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

- 8.4 ग्राम रोजगार सहायक के द्वारा एक बार स्थान परिवर्तन एवं नवीन अनुबंध होने पर कम से कम 02 वर्ष की अवधि तक पुनः स्थान परिवर्तन नहीं किया जावेगा।
- 8.5 दिव्यांग तथा गंभीर बीमारी/परित्यक्ता/विधवा अथवा युक्तियुक्त प्रशासनिक कारण के आधार पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत किसी भी समय कारणों का उल्लेख करते हुए स्थान परिवर्तन हेतु आदेश कलेक्टर के अनुमोदन पश्चात् जारी कर सकेंगे।
- 8.6 यदि किसी ग्राम रोजगार सहायक का रिश्तेदार उसी ग्राम पंचायत का सरपंच निर्वाचित होता है तो ऐसी स्थिति में उस ग्राम रोजगार सहायक का स्थान परिवर्तन अनिवार्यतः किया जावे।
- 8.7 ग्राम रोजगार सहायक को विकासखण्ड के अंदर रिक्त ग्राम पंचायत में ग्राम रोजगार सहायक का अतिरिक्त प्रभार दिया जा सकेगा। उक्त अतिरिक्त प्रभार हेतु कोई भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।
- 8.8 ग्राम रोजगार सहायक का जिले के बाहर स्थान परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

9 - ग्राम रोजगार सहायक के कर्तव्यः-

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना व योजना के अभिसरण से संचालित योजनाओं के साथ ही शासन की अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन का अत्याधिक उत्तरदायित्व ग्राम पंचायत स्तर पर है। मनरेगा योजना के अतिरिक्त भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं यथा प्रधानमंत्री आवास, 15वां वित्त आयोग, सामाजिक न्याय विभाग की विभिन्न योजनाएँ, स्वच्छ भारत मिशन, पोषण शक्ति निर्माण योजना, मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना, आयुष्मान कार्ड संबंधी कार्य, श्रम विभाग/कर्मकार मण्डल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता संरक्षण एवं निर्वाचन संबंधी इत्यादि कार्य में ग्राम रोजगार सहायकों के द्वारा सम्पादन/सहयोग किया जाएगा। ग्राम रोजगार सहायक के विस्तृत कर्तव्य परिशिष्ट 03 पर संलग्न है, ग्राम रोजगार सहायक के कर्तव्यों में समय-समय पर आवश्यकतानुसार संशोधन आयुक्त, परिषद् के द्वारा किया जा सकेगा।

पुक्त आर्युक्त (स्थापना)
म.रा.रो.गा. परिषद-भोपाल

ग्राम पंचायत एवं ग्राम रोजगार सहायक के मध्य अनुबंध का प्रारूप

यह अनुबंध दिनांक..... माह..... वर्ष..... को प्रथम पक्ष के रूप में श्री/श्रीमती/कु.....पदनाम ग्राम रोजगार सहायक (जो इसके पश्चात अंशकालीन संविदा ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत..... कहलायेगा) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में सचिव, ग्राम पंचायत.....जनपद पंचायत.....जिला..... के मध्य निष्पादित की गई है।

1. ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत का कर्मचारी होगा। ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति विषयक जारी दिशा-निर्देश एवं मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद/विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों से शासित होगा।
2. ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति/संविदा अवधि वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य होगी। उसका कार्य संतोषजनक होने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के अनुमोदन उपरान्त नियमानुसार ग्राम पंचायत के द्वारा 01 वर्ष के लिये संविदा नवीनीकरण किया जाएगा।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत 'ग्राम रोजगार सहायक' की संविदा को मार्गदर्शिका में उल्लेखित कारणों व प्रक्रिया अनुसार या 01 माह का नोटिस देकर अथवा उसके बदले में 01 माह का मानदेय भुगतान कर संविदा समाप्त की जा सकेगी।
4. 'ग्राम रोजगार सहायक' विहित कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों का निर्वहन/संपादन पूर्ण ईमानदारी, कर्तव्यपरायणता, क्षमता तथा योग्यता के साथ अनुशासन में रहकर विनम्रता से और पूर्ण समय की पाबंदी के साथ करेगा।
5. मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/परिषद के द्वारा स्थानांतरण के संबंध में जारी दिशा-निर्देश लागू होंगे।
6. ग्राम रोजगार सहायक को प्रतिमाह एकमुश्त मासिक मानदेय राशि का भुगतान किया जाएगा जो विभाग/परिषद द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा।
7. 'ग्राम रोजगार सहायक' को परिषद/विभाग द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य समस्त कार्यों/कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा।

इस अनुबंध को दिनांक.....माह..... वर्ष को निष्पादित कर निम्नलिखित की उपस्थिति में अपने हस्ताक्षर किए एवं नियोक्ता के कार्यालय की मुद्रा लगाई गई।

(हस्ता.)

(हस्ता.)

ग्राम रोजगार सहायक
ग्राम पंचायत.....
जनपद पंचायत

सचिव
ग्राम पंचायत.....
जनपद पंचायत

साक्षी - 1


आयुक्त (स्थापना)
प.गा. परिषद-भोपाल

ग्राम रोजगार सहायक के कर्तव्य/दायित्व निम्नानुसार होंगे:-

क्र.

कार्य का विवरण

- 1 नवीन जॉबकार्ड हेतु प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही, प्रत्येक ग्राम सभा से पूर्व घर-घर सर्वे किया जाकर नाम जोड़ने एवं काटने की कार्यवाही करते हुए जॉबकार्ड रजिस्टर अद्यतन किया जाना। बने हुये जॉब कार्ड में परिवार तथा मजदूरों की जानकारी जैसे FRA की स्थिति, जाति, आधार क्रं. फोटो इत्यादि अद्यतन करना।
- 2 ग्राम पंचायत का ग्रामधार लेबर बजट एवं शैल्फ औफ प्रोजेक्ट निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर ग्राम सभा से अनुमोदन कराना।
- 3 जॉबकार्डधारी मजदूर से रोजगार की मांग प्राप्त करना, मांग का पंजीयन करना तथा संबंधित को पावती उपलब्ध कराना। ग्राम पंचायत के वंचित परिवारों को योजना के प्रावधान से अवगत कराते हुये योजना का लाभ प्रदान करना।
- 4 मांग अनुसार कार्य आवंटन किया जाकर, मस्टर जारी करने हेतु कार्यक्रम अधिकारी से समन्वय कर श्रमिकों को कार्यों पर नियोजित करना।
- 5 मस्टर एवं माप पुस्तिका पर मूल्यांकन उपरान्त सरपंच, सचिव ग्राम पंचायत से भुगतान की स्वीकृति प्राप्त कर नरेगा साफ्ट में मजदूरी भुगतान हेतु प्रविष्टि करते हुए वेजलिस्ट जनरेट करना एवं प्रथम सिगनेटरी को प्रेषित किया जाना।
- 6 ग्राम पंचायत स्तर पर निर्धारित प्रारूप में 07 रजिस्टर का संधारण तथा समय-समय पर प्रविष्टियां अद्यतन करना। साथ ही प्रत्येक कार्य हेतु कार्य नस्ती (समस्त अभिलेख यथा- TS&AS मस्टर रोल, बिल व्हाउचर आदि) का संधारण करना।
- 7 Geo-MGNREGA के माध्यम से कार्यों की समयानुसार जियो टैगिंग करना।
- 8 सामुदायिक कार्यों पर मेट का नियोजन, महिला मेट नियोजन, NMMS एप के माध्यम से उपस्थिति
- 9 ग्राम पंचायत द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता तथा उपयोगिता सुनिश्चित

संयुक्त आयुक्त (स्थापना)
म.प्र.रा.रो.गा. परिषद-भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

अंशकालीन संविदा पर पदस्थ ग्राम रोजगार सहायक की कार्यप्रणाली रिपोर्ट

प्रतिवेदित अवधि : 01 अप्रैल..... से 15 मार्च

भाग-1 (प्रतिवेदित कर्मचारी द्वारा भरा जावे)

- प्रतिवेदित कर्मचारी का नाम :
- पदस्थापना स्थान (शा.पं.ज.पं.जि.) :
- नियुक्ति का आदेश क्र./दिनांक :
- कार्यभार ग्रहण करने की तिथि :
- वर्तमान पता :
- स्थाई पता :

1. संपादित कार्य का संक्षिप्त विवरण:-

(भाग-1, ग्राम रोजगार सहायक द्वारा भरा जाए, भाग-2, प्रतिवेदक अधिकारी, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी, मनरेगा जनपद पंचायत द्वारा अंक प्रदान किये जाएं, भाग-3 में समीक्षक अधिकारी द्वारा अंक प्रदान किए जाएं तथा भाग-4 में स्वीकारकर्ता अधिकारी द्वारा अंक प्रदान कर मतांकन अंतिम किया जाए।)



युक्त आयुक्त (स्थापना)
प्र.रा.रो.गा. परिषद-भोपाल

करना। कार्यों के चयन हेतु वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करना।

- 10 ग्राम पंचायत स्तर पर प्रचार प्रसार कर योजना के प्रावधानों से ग्रामीण जन का अवगत करना। ग्राम पंचायत में प्राप्त होने वाली शिकायतों/आवेदनों का निराकरण करना।
- 11 शासन/विभाग द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य - पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/शासन/परिषद द्वारा संचालित समस्त पोर्टल एवं एप पर अद्यतन प्रविष्टि करना।



संयुक्त आयुक्त (स्थापना)
म.प्र.रा.रो.गा. परिषद-भोपाल